

दि कामक पोर्ट

वर्ष : 8, अंक : 25

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 8 फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2023

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

किंतनी बड़ी समस्या बन गया है भारत में समुद्र में बढ़ता प्लास्टिक कचरा



वर्ष 2021-22 में भारत में कुल प्लास्टिक की मांग लगभग 20.89 मिलियन टन है, जबकि कुल मांग का लगभग 40 प्रतिशत प्लास्टिक कूड़े के रूप में परिवर्तित होकर लैंडफिल या डंप साइट का हिस्सा बनती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 3.46 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के रूप में जनित हुआ।

एकल प्रयोग आधारित (सिंगल यूज) प्लास्टिक उत्पाद न सिर्फ धरती, अपितु समुद्र में रहने वाले जलीय जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। पिछले कुछ दशकों में समुद्र में प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी है। समय के साथ शाहीकरण और तटीय क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास से प्रतिवर्ष लगभग 8 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट मरीन लिटर या समुद्री मलबे का हिस्सा बन रहा है।

समुद्री कचरा या मरीन लिटर - ऐसे सभी मानव और औद्योगिक क्षेत्रों से निर्मित ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ जो समुद्र में प्रदूषण को बढ़ाती हैं और समुद्र आधारित जीवों एवं वनस्पतियों को हानि पहुंचाती हैं।

दो प्रकार के मरीन लिटर निम्नलिखित हैं-

भूमि आधारित - डंपसाइट से निकलने वाला तरल - लिचैट, औद्योगिक इकाइयों से बहने वाला हानिकारक रसायनिक तरल पदार्थ, मनुष्य के द्वारा तटीय क्षेत्रों पर फेंके जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग आइटम और बॉटल्स, शिपयार्ड और सी पोर्ट से निकलने वाला अपशिष्ट, नगर निकायों के द्वारा निकलने वाला ठोस और तरल अपशिष्ट, चमड़ा और फर्टिलाइजर औद्योगिक इकाई से निकलने वाला रसायन, प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न हुए मलबे आदि।

समुद्र आधारित - मर्चेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शिपिंग, रिसर्च वेसल, फिशिंग एक्टिविटी से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट जैसे फिशिंग गियर, घोस्ट या नेट जाल, समुद्र में सभी प्रकार के असंवैधानिक डंपिंग, साइक्लोन, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट आदि।

भारत की प्रमुख नदियों एवं सहायक नदियों के द्वारा लगभग 15 से 20 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट को बहाकर समुद्र तक लाया जाता है और यदि इसी प्रकार से वैश्विक स्तर पर यह क्रम चलता रहा तो 2050 तक समुद्र में मछलियों से ज्यादा वेस्ट प्लास्टिक की मात्रा होगी। इस कारण समय रहते अति आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

समुद्र में व्यास माइक्रोप्लास्टिक अब धीरे-धीरे मनुष्य के आहार श्रंखला का हिस्सा भी हो रही है। इसी कारण यूनाइटेड नेशन ने भी अपने एजेंडा 2030 में यह कहा कि वैश्विक स्तर पर 2025 तक सभी देशों को मरीन पॉल्यूशन / मरीन लिटर को कम करने के लिए सभी प्रकार के जमीन और जल आधारित

नई दिल्ली। समुद्रों को माइक्रोप्लास्टिक का महासागर बनने से बचाने के लिए यथाशीघ्र उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर जीवन एवं संवहनीयता के दृष्टिकोण से स्वच्छ समुद्र का होना अति आवश्यक है। पिछले कुछ दशकों में प्लास्टिक की मांग एक नाटकीय क्रम में तेजी से बढ़ी है। प्लास्टिक की मांग में तेजी होने के प्रमुख कारण - प्लास्टिक का हल्का, लचीलापन, लंबी अवधि तक टिके रहने की क्षमता आदि हैं। वर्ष 2019 तक वैश्विक स्तर पर सिर्फ प्लास्टिक का उत्पादन 460 मिलियन टन था जिसमें से 353 मिलियन टन उसी वर्ष प्लास्टिक अपशिष्ट के के रूप में जनित हुई। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन वर्ष में लगभग 50 प्रतिशत वेस्ट प्लास्टिक को विभिन्न लैंडफिल साइट पर डंप किया गया।

प्रदूषण को रोकने और कम करने की आवश्यकता है।

भारत में कुल लगभग 65 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट जनित होता है जिसमें से लगभग 62 मिलियन टन नगरीय ठोस अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत है। इस ठोस अपशिष्ट का लगभग 75 से 80 प्रतिशत ही 4355 नगर निकायों के द्वारा संग्रहित किया जाता है। जबकि शेष अपशिष्ट का प्राकृतिक रूप से जल स्रोतों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से अंततोगत्वा समुद्र में पहुंचकर समुद्री मलबे का हिस्सा बनते हैं।

सिंगल यूज और मल्टी लेयर प्लास्टिक बड़ी समस्या है-

हालांकि 1 जुलाई 2022 से भारत सरकार ने चिन्हित कुल 19 प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर प्रतिबंध / बैन लगा दिया है और प्रतिबंधित उत्पादों के उपयोग नहीं किए जाने के लिए भारत सरकार के द्वारा विगत 6 वर्षों से लगभग 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराश खर्च करते हुए व्यापक रूप से जागरूकता अभियान और कोस्टल क्लीनिंग ड्राइव या तटीय क्षेत्रों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। परंतु ठोस कार्रवाई के अभाव में आज भी समुद्री मलबे / मरीन लिटर में मल्टीलेयर प्लास्टिक, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक बोतल, सिगरेट बड़स, पैकेजिंग सामान आदि मिल रहे हैं।

अपशिष्ट प्लास्टिक संग्रहण और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाए जाने की है आवश्यकता-

देश में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पासिबिलिटी पॉलिसी के तहत सभी ब्रांड निर्माता, आयातक और स्वामी को उनके द्वारा मार्केट में छोड़े गए प्लास्टिक सामान को प्रोड्यूसर रिस्पासिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से या स्वयं की संस्थाओं के माध्यम से वापस से एकत्रित और प्रसंस्करित किया जाना था जिससे कि पर्यावरण पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। परंतु इन हितग्राहकों के द्वारा इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाया गया बल्कि सिर्फ पेट बॉटल्स और कुछ विशिष्ट प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट को ही संग्रहित करने में रुचि दिखाई गई।

जिसके परिणाम स्वरूप एक अधिक मात्रा में मल्टीलेयर प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक आधारित उत्पाद नगरीय ठोस अपशिष्ट और मरीन/लिटर समुद्री मलबा का हिस्सा बन रहे हैं। इस कारण संबंधित सभी विभागों को इस दिशा में सघन निरीक्षण कर उल्लंघन कर्ता के विरुद्ध ठोस कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। 5 जुलाई 2022 को भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सागर - सुरक्षित सागर नामक एक 75 दिवसीय समुद्र तटीय क्षेत्र सफाई अभियान चलाया गया।

प्रदूषण पर्यावरण के साथ जैवविविधता के लिए बन रहा खतरा

नई दिल्ली। भारत के चार प्रमुख शहरों में से तीन शहर समुद्र के तट पर स्थित हैं। देश की लगभग 14.2% (ग्राफ -1) जनसंख्या समुद्र तट से लगे जिलों में निवास करती है। आयतन की दृष्टि से लगभग 95% और मूल्य की दृष्टि से लगभग 68% भारतीय व्यापार इन्हीं बॉटरवेज / जलआधारित मार्ग से किया जाता है। भारतीय समुद्री तट की लंबाई कुल 7517 किलोमीटर है। इन समुद्री तटों पर बहुत सारी समुद्री वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का विकास एवं पोषण आधारित होता है। जिस प्रकार से मानव की जीवन शैली है उससे पिछले 50 सालों में कूड़े की मात्रा जमीन सहित जलीय निकायों में भी बढ़ाया है। समुद्र आधारित सभी प्रकार के जीवों में नैनो प्लास्टिक एवं अन्य प्रकार के प्लास्टिक के कण प्राप्त हुए हैं जो बाद में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आहार श्रृंखला / फूड चेन का हिस्सा बनते हैं। शोध के अनुसार यह बताया गया कि लोगों के द्वारा लगभग 5 ग्राम प्रति सप्ताह नैनो प्लास्टिक का विभिन्न माध्यमों से उपभोग किया जा रहा है।

मरीन लिटर इन साउथ एशियन सी रिपोर्ट वर्ष 2018 में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा तैयार की गई है जिसमें यह बताया गया है कि 15,343 टन प्रतिदिन प्लास्टिक वेस्ट जो कि भारत के 60 बड़े शहरों से निकलता है। इस निकले हुए वेस्ट प्लास्टिक का सिर्फ 60% ही प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है और प्रभावी संग्रहण और रीसाइकिंग के अभाव में शेष 40% प्लास्टिक वेस्ट अंतोगत्वा मरीन डिब्रिस का एक हिस्सा बनता है। डाउन टू अर्थ के अनुसार मरीन डेब्रिस में मौजूद विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक जैसे - कैर्री बैग, रस्स्या, फिशिंग नेट, बॉटल्स, कैप्स, पलॉयस्ट्रीन, फोम, सिगरेट बड़स, प्लास्टिक आधारित कप, प्लेट्स, कटलरीस, पस्टिक पैकेजिंग आदि समुद्र तट सहित समुद्र के विभिन्न जलीय खंडों में घनत्व और भार के अनुसार जमा होते रहते हैं। समुद्र में प्लास्टिक आधारित वस्तु और प्रयोग कर फेके गए घोस्ट नेट/ फिशिंग नेट में फसकर एक बड़ी मात्रा में समुद्र जीवों और सी बर्ड की मृत्यु हो जाती है।

सुपरजा धारीनी जो ट्री फाउंडेशन की चेयरपर्सन और संस्थापक भी है। अब तक 31,01,000 ओलिव रिडिल प्रजाति के कछुओं (शिशु कछुओं) को संस्था की सी टर्टल प्रोटेक्शन फोर्स के 363 सदस्यों की सहायता से समुद्र में वापस छोड़ा गया है। 2 ओलिव रिडिल टर्टल, 1 ग्रीन टर्टल को सेटेलाइट टैग करने वाली देश पहली संस्था भी है। 57 ओलिव रिडिल टर्टल, 7 ग्रीन टर्टल और 05 हाक्सबिल टर्टल को भी संस्था ने अपने प्रयासों से पुनः समुद्र में वापस छोड़ा है। 1 डॉसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट, इंडियन कोस्टल गार्ड और मरीन पुलिस की मदद से समुद्री कछुए एवं खतरे में श्रेणीबद्ध की गई समुद्री प्रजातियां को सुरक्षा और वापस से समुद्र में छोड़ने का कार्य संस्था के द्वारा किया जा रहा है। संस्था द्वारा जिला एवं राज्य स्तर के लगभग 4000 कर्मचारियों एवं फिशिंग कम्पनियों को मरीन इकोसिस्टम और समुद्री कछुए के बचाव के संबंध में विभिन्न कार्यालयों के माध्यम से जागरूक किया गया है। वर्ष 2021 में संस्था के द्वारा घोस्ट नेट के पुनः प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया गया जिसमें लगभग 58,000 किलोग्राम घोस्ट नेट को पुनः समुद्री तटों से और समुद्र के अंदर से प्राप्त किया



गया। इसके अतिरिक्त संस्था के द्वारा ट्री फाउंडेशन ओशन गार्जियन स्कूल प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। यह प्रोग्राम 348 स्कूलों में चलाते हुए लगभग 2,55,000 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं को समुद्री मालवा/ मरीन पॉल्यूशन और समुद्री जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। आवश्यकता है समाधान की- नेशनल मरीन लिटर पॉलिसी बनाए जाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा 2018 में की गई है जिसे अभी तक फॉर्मूलेट नहीं किया गया जिसे शीघ्र बनाए एवं लागू किए जाने की आवश्यकता है। फिशिंग एक्टिविटीज की सघन मॉनिटरिंग किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि घोस्ट नेट जैसी समस्या उत्पन्न ना हो। भारतीय राज्य सरकारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग को प्रतिबंधित किया है फिर भी प्लास्टिक का उपयोग खुलेआम और समुद्री तटों के किनारे/ कोस्टल बीच पर प्रयोग किया जाता है। जिसे संबंधित नगर निकायों एवं ग्राम निकायों के द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। मादा कछुए के द्वारा दिए गए 1000 अंडे में से सिर्फ 10 ही वयस्क कछुआ में परिवर्तित हो पाते हैं। कछुए एक प्रकार से समुद्री जैव विविधता और आहार श्रृंखला का एक हिस्सा है। कछुए एक प्रकार से समुद्री वनस्पतियों और कोरल रीफ का संरक्षण करते हैं अतः इस प्रकार की जलीय जीव जंतुओं के घोस्ट नेट में फँसने और पोचिंग / अवैध शिकार से बचाव हेतु संरक्षण योजना और प्रभावी क्रियान्वन की आवश्यकता है।

साभार - डाउन टू अर्थ

केमिकल युक्त पानी को चंबल में छोड़ रही ग्रासिम इंडस्ट्री, एनजीटी ने दिए जांच के दिए निर्देश

मुंबई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ औद्योगिक प्रदूषण की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चार सदस्यीय समिति को साइट का दौरा करने और छह सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामला मध्य प्रदेश के नागदा शहर का है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज पर आरोप है कि वो केमिकल युक्त पानी को खुली भूमि पर डाल रहा है, जिससे मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंच रहा है।

कोर्ट को जानकारी दी गई है कि परिसर से केमिकल युक्त पानी को अधिकारियों द्वारा जानबूझकर इसके लिए बनाए गए एक औद्योगिक नाले में छोड़ा जाता है, जो लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित चंबल नदी में मिलता है। आवेदक के अनुसार इस तरह यह जहरीला पानी चंबल नदी के नीचे की ओर गांधी सागर बांध की ओर बह जाता है। इस पानी की आपूर्ति और खपत नागदा और कछरोड़ शहरों में की जाती है। एनजीटी ने 8 फरवरी 2023 को एक संयुक्त समिति को निर्देश दिया है कि वो मोहनपुर गांव में बायो मेडिकल कचरे के अवैध निपटान के मामले की जांच करे। मामला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले का है। इस मामले में एनजीटी की सेंट्रल बेंच ने समिति को छह हफ्तों के भीतर तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

गौरतलब है कि 27 जनवरी, 2023 को एनजीटी के समक्ष दायर एक आवेदन में कहा गया है कि जेके मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम मोहनपुर गांव के खेतों और उसके आसपास अवैध रूप से जैव चिकित्सा कचरे का निपटान कर रहा है। मामला चंदेरी तहसील के अशोकनगर जिले का है। पता चला है कि

यह राख नदियों, नालों, कुओं, हेंडपंपों में भी रिस रही है, जो पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। एनजीटी को दिए गए आवेदन में जानकारी दी गई है कि पिछले कुछ वर्षों से आसपास के खेतों और जल स्रोतों में बायो-मेडिकल कचरे के अवैज्ञानिक निपटान, गैरकानूनी तरीके से हैंडलिंग और उपचार के साथ अवैध डंपिंग से जुड़ी कई घटनाओं की सूचना मिली है। यह भी आरोप लगाया है कि जे के मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नियमित तौर पर बायोमेडिकल वेस्ट को 10 से 15 ट्रॉलियों की मदद से खुले में डंप कर रहा है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि कोल्हापुर सिंचाई विभाग ने कोल्हापुर नगर क्षेत्र के हिस्से के साथ-साथ प्रयाग चिकाली से पंचगंगा नदी के किनारे रूकड़ी तक कुल 31.34 किलोमीटर के क्षेत्र में नीली और लाल रेखाओं के सीमांकन का कार्य पूरा कर लिया है। गौरतलब है कि एनजीटी ने 5 अप्रैल, 2019 को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से नगर निगम की विफलता दर्शाने वाली रिपोर्ट पर विचार करने के बाद %रेड जोन% क्षेत्र का सीमांकन करने की बात कही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण पैदा करने वाली गतिविधियों को रोकने के साथ-साथ उपचारात्मक कदम उठाने का भी निर्देश दिया था। रिपोर्ट से पता चला है कि कोल्हापुर नगर निगम द्वारा शेष 6 नालों के अवरोधन और उनके मार्ग में बदलाव का कार्य अब तक पूरा नहीं किया है, जोकि अभी भी अमृत योजना के तहत प्रक्रियाधीन है।

बढ़ती इंसानी महत्वकांक्षा की भेंट चढ़ गए 34 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वेटलैंड, भारत में भी आई कमी



वेटलैंड्स। इंसान की दिनों-दिन बढ़ती महत्वकांक्षा पर्यावरण के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। इसी कड़ी में बढ़ते इंसानी जरूरतों ने पिछले तीन सदियों में 34 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले वेटलैंड्स यानी आद्भूमियों को नष्ट कर दिया है।

वेटलैंड्स को हुआ यह नुकसान कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नष्ट हुए वेटलैंड्स का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। यह जानकारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए नए अध्ययन में सामने आई है। इस अध्ययन के नतीजे आठ फरवरी 2023 को अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल ने चर में प्रकाशित हुए हैं।

शोधकर्ताओं के मुताबिक यदि 1700 से 2020 के बीच देखें तो करीब 21 फीसदी वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं जबकि इससे पहले किए अध्ययन में नुकसान का यह आंकड़ा 50 से 87 फीसदी के बीच आंका गया था। रिसर्च से पता चला है कि पिछले 320 वर्षों में यूरोप, अमेरिका और चीन में करीब आधे वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं, जबकि भारत, यूके, आयरलैंड और जर्मनी के कुछ हिस्सों में 75 फीसदी से अधिक का नुकसान हुआ है। देखा जाए तो यूरोप इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। गौरतलब है कि जहां आयरलैंड ने अपनी आद्भूमि का करीब 90 फीसदी हिस्सा खो दिया है। वहीं जर्मनी, लिथुआनिया और हंगरी के लिए नुकसान का यह आंकड़ा 80 फीसदी से ज्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरह नीदरलैंड और इटली में भी 75 फीसदी से ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि शोधकर्ताओं का कहना है कि कुछ क्षेत्रों के बहुत बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद, दुनिया भर में वेटलैंड्स के मामले में बचाने के

लिए अभी बहुत कुछ बचा है। इस बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े शोध के प्रमुख लेखक एटिएन फ्लुएट-चौइनार्ड का कहना है कि अच्छी खबर यह है कि वास्तव में दुनिया के अधिकांश वेटलैंड्स की रक्षा के लिए बहुत देर नहीं हुई है।

जंगलों की तुलना में तीन गुना ज्यादा तेजी से गायब हो रही हैं यह आद्भूमियां- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह वेटलैंड अभी भी दुनिया में 1.21 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो क्षेत्रफल के मामले में ग्रीनलैंड से भी ज्यादा है। वहीं इनका 13 से 18 फीसदी हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स के रूप में रामसर सूची में शामिल है, जो संरक्षित क्षेत्र हैं। गौरतलब है कि यह पहला मौका है जब शोधकर्ताओं ने दुनिया भर के 154 देशों में ऐतिहासिक रिकॉर्डों की छानबीन की है, जिसमें उन्होंने 1700 के बाद से उन्होंने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहां आद्भूमि से जल निकासी और भूमि उपयोग में बदलाव के जरिए इनमें बदलाव किए गए हैं। इन्हें उन्होंने वर्तमान में वेटलैंड्स के मानचित्रों के साथ जोड़कर सटीक नक्शों का निर्माण किया है। गौरतलब है कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन में रोकथाम, भूजल के पुनर्भरण, कार्बन भंडारण, पानी को साफ करने और जैवविविधता को बचाने में मददगार होने के बावजूद इन आद्भूमियों को लम्बे समय तक अनुत्पादक क्षेत्रों के रूप में देखा जाता था, जो के बल बीमारियों और कीड़ों से भरे थे। हालांकि मान्यता यह थी कि यह के बल फसलों को उगाने या ईंधन और उर्वरक के लिए पीट को उगाने का साधन थे। यही बजह है कि लम्बे समय से इन्हें नष्ट किया जाता रहा है। रिसर्च के मुताबिक इन वेटलैंड्स को हुए 60 फीसदी से ज्यादा नुकसान के लिए ऊंची जमीनों से पानी को निकाला जाना है जिससे उसपर खेती की जा सके। इसके बाद धान की खेती 18 फीसदी नुकसान के लिए जिम्मेवार है, जबकि शहरी क्षेत्रों के विस्तार की इसमें आठ फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं नुकसान में पीट की भूमिका एक फीसदी से भी कम है।

पता चला है कि 50 के दशक में इन आद्भूमियों को होने वाले विनाश की दर सबसे ज्यादा थी। जब कृषि और वानिकी की भूमि सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन में किसानों को सरकारी सब्सिडी दी जाती थी। स्पेन एकमात्र ऐसा यूरोपीय देश है, जिसकी 50 फीसदी से भी ज्यादा आद्भूमि अभी भी बरकरार है।

देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्रों की तुलना में पीटलैंड दोगुना कार्बन जमा करते हैं। अनुमान है कि यह जंगलों की तुलना में यह आद्भूमियां, तीन गुना तेजी से गायब हो रही हैं। ऐसे में यदि जलवायु लक्ष्यों को हासिल करना है तो इसे हासिल करने के लिए यह वेटलैंड्स महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं। इसी तरह यह आद्भूमियां, जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी काफी मायने रखती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक दुनिया की करीब 40 फीसदी प्रजातियां इन्हें वेटलैंड्स में रहती और प्रजनन करती हैं। हालांकि इसके बावजूद आद्भूमियों में मिले वाली 25 फीसदी से अधिक पौधों और जानवरों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यह वेटलैंड पानी को साफ करते हैं, बाढ़ से बचाते हैं और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देते हैं। ऐसे में इससे पहले बहुत देर हो जाए यह बहुत जरूरी है कि वैश्विक स्तर पर इन आद्भूमियों को बचाने के प्रयास किए जाए। इसमें स्थानीय लोगों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही शोध के अनुसार नुकसान में भौगोलिक असमानताओं पर भी विचार करना जरूरी है क्योंकि जल निकासी के बाद नष्ट हुई आद्भूमि से स्थानीय पैमाने पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी भरपाई कही और मौजूद आद्भूमि से नहीं की जा सकती।



पहाड़ों के बाटर हीरो, पर्यावरण से ऐसा प्रेम कि जंगलों को लौटा दी हरियाली

हल्द्वानी हम आपको एक ऐसे 'बॉटर हीरो' के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने जंगल में चारों तरफ हरियाली वापस लाई है। जी हाँ, जिनको पर्यावरण प्रेमी और बॉटर हीरो के नाम से भी जाना जाता है, इनका नाम है चंदन सिंह नयाल। नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक में नाई गांव, चामा पंतोली निवासी किसान और पर्यावरण प्रेमी चंदन सिंह नयाल 10 सालों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

चंदन सिंह नयाल को पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाना जाता है। चंदन बिना किसी सरकारी मदद के पहाड़ में पौधे लगाते हैं, फिर उनकी देख-भाल करते हैं। जंगलों को बचाने के लिए वह पिछले 10 सालों से यही काम कर रहे हैं। ये उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक में कभी पथरीली दिखने वाली पहाड़ियां अब हरी-भरी नजर आ रही हैं।

एक लाख से ज्यादा पौधे लगाए

बात अगर हम पौधे लगाने की करें, तो चंदन नयाल की टीम और उनके द्वारा अब तक 1 लाख 20 हजार से ज्यादा फलदार और छायादार पौधे लगाए जा चुके हैं। इसमें बांज के पेड़ सबसे अधिक हैं। 29 वर्षीय चंदन नयाल बचपन से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं। उन्होंने 2012 में बांज के पेड़ों की अहमियत समझी, जहां सबसे पहले उन्होंने नाई गांव से सटे तीन हेक्टेयर जंगल में बांज के पौधे रोपे। आज गांव से सटे 3 हेक्टेयर का जंगल पूरी तरह से हरा-भरा है।

जंगल में चाल-खाल और खंतियां भी बनाई

2020 में कोरोना की शुरुआत के साथ चंदन और उनकी टीम ने पर्वतीय क्षेत्र में चाल-खाल, खंतियां व छोटे-छोटे पोखर बनाना शुरू किए। उन्हें गांव के युवाओं का भी पूरा सहयोग मिला। इसका नतीजा है कि पांच हजार चाल-खाल, खंतियां व छोटे-छोटे पोखर तैयार हो चुके हैं, जहां 12 हेक्टेयर जंगल क्षेत्र में तैयार जल संचय के इन संसाधनों में बरसात के दौरान पानी भर जाता है, जिससे गर्मियों में बन्यजीवों को प्यास बुझाने के लिए पानी मिलता है।



इंदौर नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू निवेश के लिए 10 फरवरी को खुलेगा कूपन दर प्रति वर्ष 8.25 प्रतिशत अर्धवार्षिक देय/ प्रभावी प्रतिफल प्रति वर्ष 8.42% तक

इंदौर मूल्यांकित सूचीबद्ध कर योग्य, सुरक्षित, भुनाने योग्य, गैर- परिवर्तनीय ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, (जिसमें 4 (चार) अलग-अलग हस्तांतरणीय और भुनाने योग्य प्रमुख भाग (एसटीआरपीपी) अर्थात् 250 रुपए अंकित मूल्य का एक एसटीआरपीपी ए 250 रुपए अंकित मूल्य का एक एसटीआरपीपी बी 250 रुपए अंकित मूल्य का एक एसटीआरपीपी सी और 250 रुपए अंकित मूल्य का एक एसटीआरपीपी डी] शामिल है, के सार्वजनिक निर्गम के लिए मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 के तहत वर्ष 1956 में स्थापित इंदौर नगर निगम (आईएमसी या निगम) ने प्रस्ताव दस्तावेज दायर किया है। यह निर्गम 10 फरवरी, 2023 को खुलेगा और 14 फरवरी, 2023 को बंद होगा।।

महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी, आयुक्त नगर निगम श्रीमती प्रतिभा पाल और स्मार्ट सिटी के सीईओ श्री दिव्यांक सिंह द्वारा आज पत्रकार वार्ता में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

यही ग्रीन बॉन्ड निर्गम प्रतिवर्ष 8.25 प्रतिशत की कूपन दर की पेशकश करता है, जो अर्धवार्षिक देय है और प्रभावी प्रतिफल प्रतिवर्ष 8.42 प्रतिशत है। इस एनसीडी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) (स्टॉक एक्सचेंज) में रूप में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है, और एनएसई निर्गम के लिए नामित स्टॉक एक्सचेंज होगा। इन ग्रीन बॉन्डों को केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा केयर एए स्टेबल और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएनडी एए+ /स्टेबल के रूप में मूल्यांकित किया गया है। इन ग्रीन बॉन्डों की अवधि 3 वर्ष (एसटीआरपीपी ए) 5 वर्ष (एसटीआरपीपी बी), 7 वर्ष (एसटीआरपीपीसी) और 9 वर्ष (एसटीआरपीपी डी) है। श्रेणी I (क्यूआईबी) श्रेणी II (कॉर्पोरेट), श्रेणी III (एचएनआई) और श्रेणी IV (रिटेल इंडिविजुअल) के एनसीडी धारकों के लिए प्रभावी उपज (प्रति वर्ष 8.41 प्रतिशत 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष की अवधि के लिए है और यह एसटीआरपीपी डी के 9 वर्ष की अवधि के लिए 8.42 प्रतिशत है। ब्याज भुगतान विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे डायरेक्ट क्रेडिट, एनएसीएच, आरटीजीएस, एनईएफटी और रजिस्टर्ड पोस्ट/स्पीड पोस्ट 7 निर्गम में प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग मध्यप्रदेश के जिल खरगोन के गाँव सामराज और आशुखेड़ी में 60 मेगावाट ग्राउंड सौलर पीवी पावर प्लाट (परियोजना) की स्थापना के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आँवला, नीम और गुलमोहर के पौधे रोपे

भोपाल मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित उद्यान में नीम, आँवला और गुलमोहर के पौधे लगाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ मध्यप्रदेश जल निगम के जनरल मैनेजर श्री अजय दिवाकर ने पौध-रोपण किया। श्री दिवाकर ने मिशन में हर घर नल से जल की प्रभावी व्यवस्था तथा जल-प्रदाय के लिए शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण की दिशा में नवाचार किया है। सीहोर के सामाजिक कार्यकर्ता श्री समीर सेन ने भी अपने जन्म-दिवस पर पौधा लगाया। सर्वश्री राहुल सेन, सुनील राय, राजेन्द्र सेन और आकाश रावत साथ थे।